PMGSY कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्पावत

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, IRRIGATION.DIVISION (P.W.D.), CHAMPAWAT

Phone – fax 05965-230148 E-Mail; eepmgsychampawat@gmail.com

पत्रांक ....1312..... / 03 पी0एम0जी0एस0वाई0 *दिनाँक ......30..... / 11 / 2020*

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग।

विषयः– *चमदेवल–निडिल मोटर मार्ग निर्माण हेतु 5.540 हेक्टे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।*

संदर्भः– *भारत सरकार , पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय – देहरादून के पत्रांक संख्या 08बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 82 / 2015 / एफ0सी0 / 1386, दिनांक 23.09.2019 (प्रति संलग्न)*

महोदय,

उपरोक्त विषयक एंव संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि चमदेवल–निडिल मोटर मार्ग निर्माण हेतु 5.540 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम विकास विभाग को प्रत्यावर्तन करने के लिये भारत सरकार के शासनादेश संख्या 08बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 82 / 2015 / एफ0सी0 / 1386, दिनांक 23.09.2019 में निहित प्राविधानों द्वारा उल्लेखित की गयी शर्तों पर की गयी कार्यवाही निम्न प्रकार है –

<table>
<tr><th>क्रं0 सं0</th><th>भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत शर्तें</th><th>कृत कार्यवाही</th></tr>
<tr><td>1</td><td>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 11.080 हे0 सेलपड एवं गुरेली भूमि पर सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।</td><td>कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत के पत्रांक सं0 1205 / 12–1, दिनांक 09.10.2020 के अनुपालन में एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण की जमा की जाने वाली धनराशि दिनांक 29.10.2020 को जमा की जा चुकी है जिसकी ऑनलाइन Transaction Acknowledgement Slip तथा Online Payment History Slip म्यूटेशन फॉइल के साथ संलग्न है।
<table>
<tr><th rowspan="2">फेज</th><th rowspan="2">प्रस्ताव का नाम</th><th rowspan="2">जनपद</th><th colspan="2">देय धनराशि</th><th rowspan="2">योग</th></tr>
<tr><th>क्षतिपूरक वृक्षारोपण</th><th>एन0पी0वी0</th></tr>
<tr><td>XIV</td><td>चमदेवल से निडिल मोटर मार्ग</td><td>चम्पावत</td><td>3396363.00</td><td>3639780.00</td><td>7036143.00</td></tr>
</table>
सिविल भूमि का वन विभाग के पक्ष में दाखिल खारिज (Mutation) हेतु प्रस्ताव बनाया जा चुका है। दाखिल खारिज की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है जिसका विवरण म्यूटेशन राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा दिये गये पत्र में किया गया है जो म्यूटेशन पत्रावली में संलग्न है।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ.सी., दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।</td><td>बिन्दु सं0 01 के अनुसार वांछित धनराशि जमा की जा चुकी है।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्वता प्रस्तुत की जाए।</td><td>उक्त राशि क्रम सं0 1 के अनुसार जमा कर दी गयी ळें</td></tr>
</table>

4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पार्टल पर Online Generate किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑन लाईन बैंक में जमा किये जायें, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होंगी।	बिन्दु सं0 01 के अनुसार वांछित धनराशि जमा की जा चुकी है।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड,(लो0नि0वि0)चम्पावत।

परियोजना का नाम – जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, चमदेवल से निडिल मोटर मार्ग (11.125 कि0मी0) तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र

उपरोक्त परियोजना में वन भूमि 5.540 हे0 प्रभावित हो रही है। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना के लिए दुगनी सिविल वन भूमि 11.080 हे0 की आवश्यकता है, जिसके लिए 4.909 हे0 सिविल वन भूमि ग्राम सेलासेलपड़ में प्रस्तावित है तथा 6.171 हे0 सिविल वन भूमि ग्राम – गुलेरी में प्रस्तावित है। इस प्रकार कुल 11.080 हे0 सिविल वन भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। उक्त क्षेत्र प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से उचित है।

कनिष्ठ अभियन्ता
सि0ख0, लो0नि0वि0,
चम्पावत।

सहायक अभियन्ता
सि0ख0, लो0नि0वि0,
चम्पावत।

सहायक अभियन्ता
सिचाई खण्ड, लो0नि0वि0
चम्पावत

अधिशासी अभियन्ता
सि0ख0, लो0नि0वि0,
चम्पावत।

सिंचाई खण्ड
चम्पावत

वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्र–लोहाघाट
वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत

Photo Copy Attested
Assistant Engineer
Irr. Divn. P.W.D. Champawat

प्रारूप(धारा–4)

परियोजना का ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या – **FP/UK/ROAD/** 30142 / 2015 /

परियोजना का जनपद एवं नाम – PMGSY के अन्तर्गत चमदेवल से निड़िल मोटर मार्ग का निर्माण

परियोजना का क्षेत्रफल(हे0 में) – 11.08 है0

प्रयोक्ता एजेन्सी का नाम व पता – अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड लो0 नि0 वि0, चम्पावत

वन प्रभाग का नाम व पता – प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि – गुरेली क्षेत्रफल 6.171 है0 एवं सेलासलपड़ क्षेत्रफल 4.909 है0 का श्री कुबेर सिंह बिष्ट (प्रभागीय वनाधिकारी का नाम व वन प्रभाग) द्वारा पुनः दिनांक 27.02.2020 को स्थलीय निरीक्षण के दौरान पाया गया कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र का घनत्व 0.4 से कम है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र वनाच्छादित नहीं है, क्षेत्र झाड़ीनुमा व रिक्त है व क्षेत्र में 1100 पौध/हे0 रोपित हो सकते है। अतः उक्त क्षेत्र क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सर्वथा उपयुक्त है।

हस्ताक्षर

( )

प्रभागीय वनाधिकारी का नाम

पद व मोहर सहित

प्रभागीय वनाधिकारी

चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/10142/2015 Construction of Chamdeval to Nidil M/R under PMGSY Champawat.	ROAD101422015146	6110142146	23 Sep 2019	CA: 3396363/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 3639780/-, None: 0/- None: 0/- None: 0/- None: 0/- Total: 7036143/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On**: 17 Oct 2019 **Bank Name**: Corporation Bank **Mode of Payment**: NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On**: 18 Oct 2019 **Transaction Date**: 29 Oct 2019	Demand Letter Generated Challan

सहायक अभियन्ता
सिं०ख०, लो०नि०वि०, चम्पावत

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (लो०नि०वि०)
चम्पावत

एन0पी0वी0 की वचनबद्धता प्रमाण–पत्र

परियोजना का नामः– जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित चमदेवल से निडिल मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि मा0 उच्चतम न्यायलय/भारत सरकार द्वारा भविष्य में एन0पीवी0 की वर्तमान दरों में वृद्धि की जाती है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी/सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि, चम्पावत/ग्राम्य विकास विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप बढ़ी हुई एन0पी0वी0 की धनराशि का भुगतान वन विभाग को किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
सिं0ख0, लो0नि0वि0–चम्पावत।

अधिशासी अभियन्ता
सिं0ख0, लो0नि0वि0–चम्पावत।

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–केन्द्रीय क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,FOREST & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/82/2015/एफ0सी0/1386 दिनांक: 23/09/2019

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय : जनपद – चम्पावत में चमड़देवल से निडिल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.54 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ: अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या– 507/x-4-15/1(285)/2015 दिनांक 27.06.2015

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/ROAD/10142/2015 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर समय–समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां/दस्तावेज मंगवाये जाते रहे है, जिनके प्राप्त होने के उपरान्त तथा प्रस्ताव पर Regional Empowered Committee (REC) की दिनांक 22, अगस्त 2019 को हुई बैठक में संस्तुति होने के उपरान्त केन्द्र सरकार **जनपद – चम्पावत में चमड़देवल से निडिल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.54 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन** किये जाने की **सैद्धान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 11.080 है0 सेलपड़ एवं गुरेली भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।

3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।

4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर **Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।**

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् **विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तों सहित निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रदान की जायेगी:–**

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नही जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरो में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 11.080 है0 सेलपड़ एवं गुरेली भूमि भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अर्न्तगत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।
7. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।
8. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यदित के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।
9. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 332 से अधिक न हो।
10. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी।
11. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
12. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
13. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तो का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

23/08/19

(सन्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(सन्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

डिजिटल मैप– जनपद चम्पावत में चमदेवल से निडिल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल– सेला सेलपड एवं गुरेली।

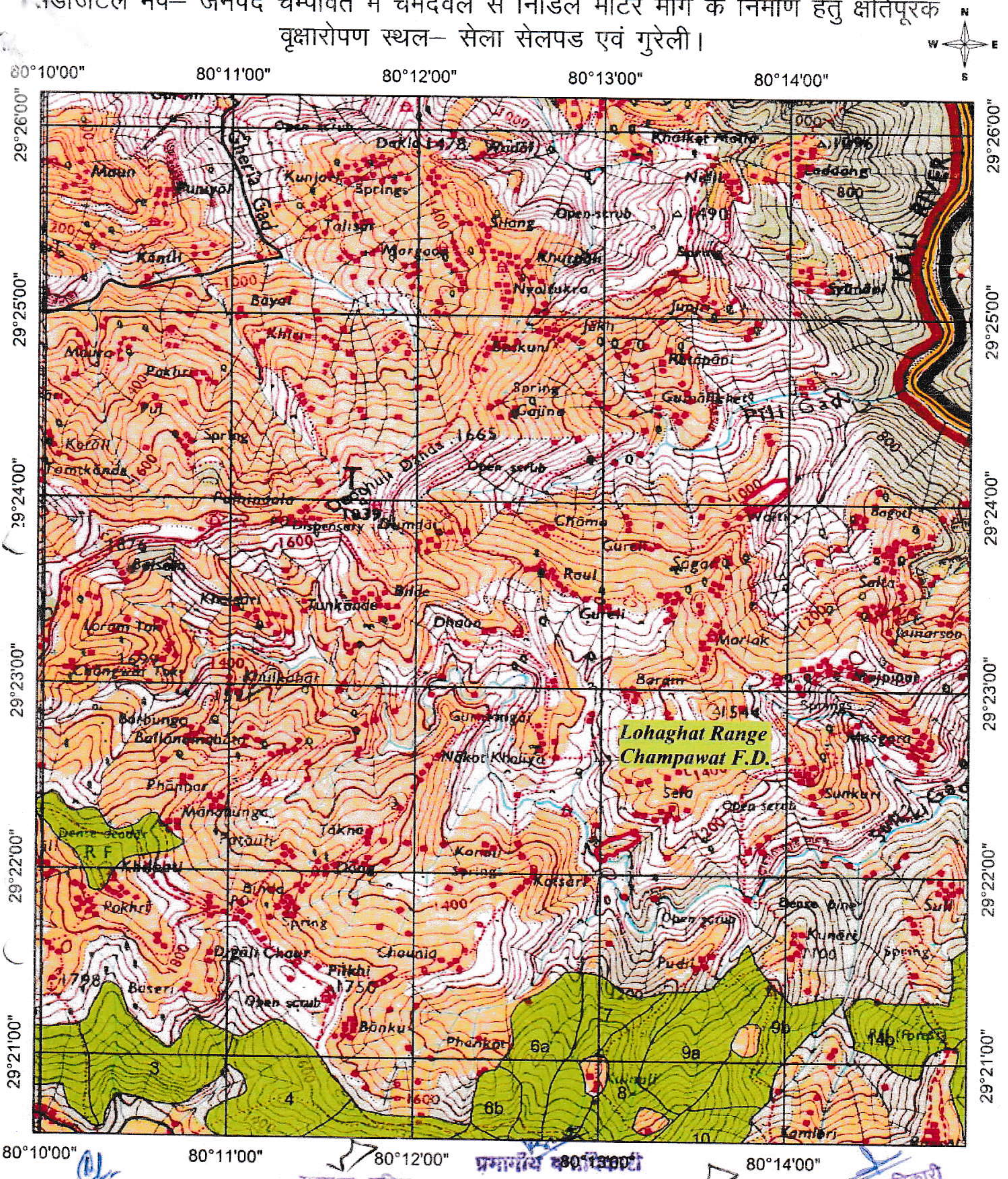

Legend

(red outline)	Proposed_Land
(white)	Reserve Forest Boundary
(green)	Reserve Forest Area
(brown outline)	Range_Boundary
(orange outline)	Division_Boundary

ScaleBar

0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0

km

Photo Copy Attested
Assistant Engineer
Irr. Divn. L.W.D. Champawat

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०
चम्पावत।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (लो०नि०वि०)
चम्पावत

वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्र–लोहाघाट
वन प्रभाग चम्पावत,

राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र ....
तहसील ....

राजस्व निरीक्षक
लोहाघाट

12-08-18
तहसीलदार
लोहाघाट

10/08/18
उपजिलाधिकारी
लोहाघाट

जियों रैफरेन्स मैप– जनपद चम्पावत में चमदेवल से निडिल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल– सेला सेलपड एवं गुरेली।

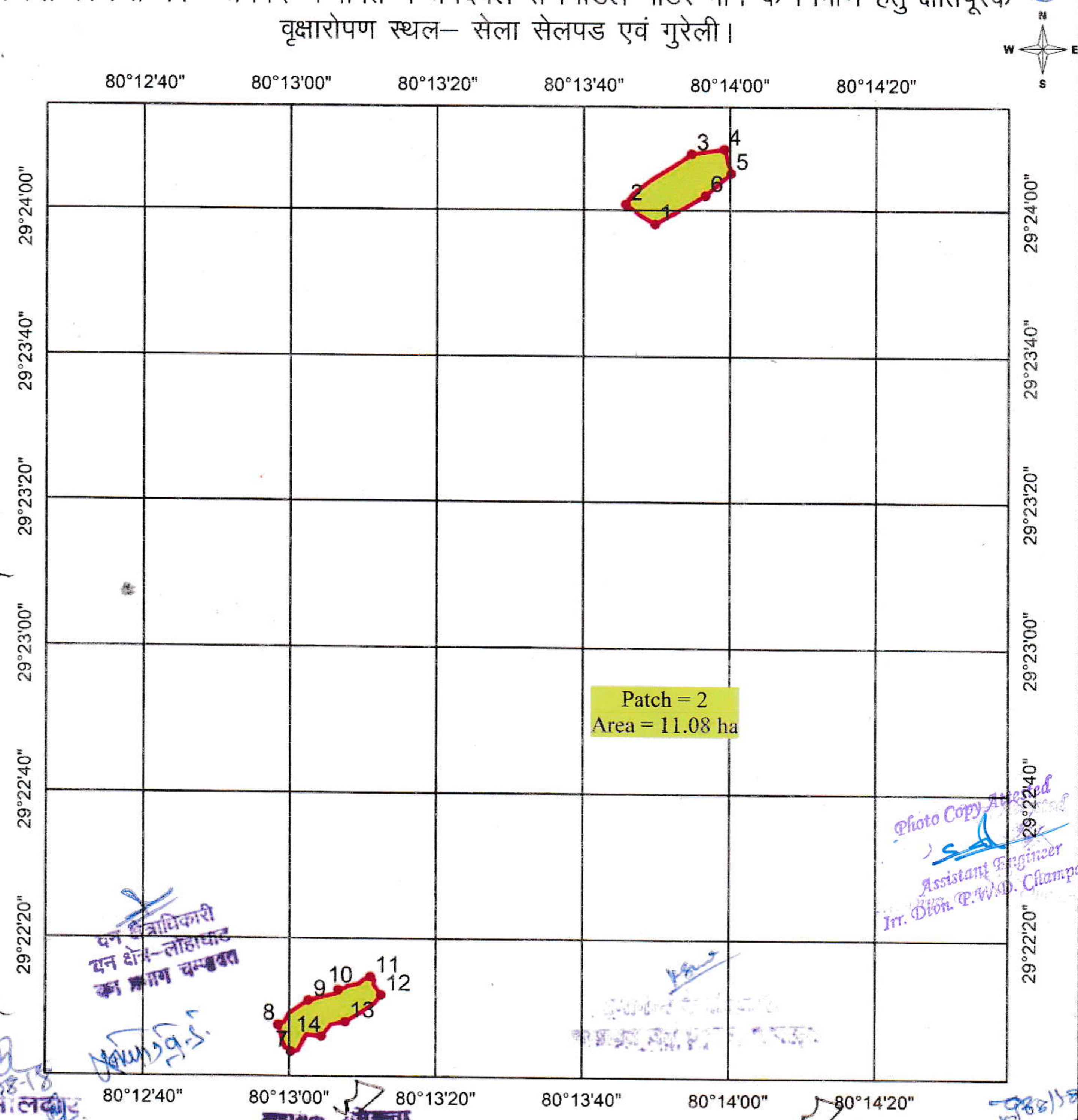

0.00 0.15 0.30 0.45 0.60 0.75

km

Legend

GPS_Points

Proposed_Land

ID	Longitude	Latitude	ID	Longitude	Latitude
1	80°13'49.71"E	29°23'58.08"N	8	80°12'58.53"E	29°22'8.20"N
2	80°13'45.69"E	29°24'0.80"N	9	80°13'2.59"E	29°22'11.55"N
3	80°13'54.71"E	29°24'7.75"N	10	80°13'6.68"E	29°22'12.99"N
4	80°13'59.18"E	29°24'8.39"N	11	80°13'11.10"E	29°22'14.83"N
5	80°14'0.10"E	29°24'5.09"N	12	80°13'12.52"E	29°22'12.32"N
6	80°13'56.59"E	29°24'2.05"N	13	80°13'7.63"E	29°22'8.63"N
7	80°13'0.25"E	29°22'4.57"N	14	80°13'4.36"E	29°22'6.64"N

वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्र–लोहाघाट
वन प्रभाग चम्पावत

Photo Copy Attested
Assistant Engineer
Irr. Dvn. P.W.D. Champawat

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लोनिवि
चम्पावत

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (लोनिवि)
चम्पावत

उपजिलाधिकारी
लोहाघाट

तहसीलदार
लोहाघाट

राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र
तहसील

आदेश

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–केन्द्रीय क्षेत्र) सुभाष रोड, देहरादून के पत्रॉक–8 बी/यू0सी0पी0/06/82/2015/एफ0सी0/1386, दिनॉक 23.09.2019 के द्वारा जनपद चम्पावत में चमदेवल से निडिल मोटर मार्ग के निर्माण में पड़ने वाली 5.540 हे0 वन भूमि के बदले ग्राम– सेलासलपड़ में 4.909 हे0 तथा ग्राम– गुरेली में 6.171 हे0, कुल 11.080 हे0, सिविल भूमि का क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए वन विभाग के नाम हस्तान्तरण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति के कम में, उप जिलाधिकारी लोहाघाट द्वारा अपने पत्र संख्या–674/सिविल भूमि–म्यूटेशन 2020, दिनॉक 27 जुलाई, 2020 के द्वारा चमदेवल से निडिल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित 5.540 हे0 वन भूमि के बदले 11.080 हे0 सिविल भूमि का क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए वन विभाग के नाम हस्तान्तरण हेतु चयन कर म्यूटेशन प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार, प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत है:–

1– उक्त परियोजना हेतु ग्राम–गुरेली, प0क्षे0–पुल्ला, तहसील लोहाघाट, जनपद चम्पावत के गै0ज0वि0 श्रेणी–10(4), बंजर नाकाबिल आबाद के ख0 खाता संख्या– 121, खेत नं0 4877, रकवा 1.008 हे0, खसरा नं0–4378 रकवा 5.163 हे0, कुल 6.171 हे0 एवं ग्राम सेला सलपड़ तहसील– लोहाघाट, के गै0ज0वि0 श्रेणी–9(3)ड0, बंजर काबिल आवाद के खतौनी खाता संख्या–197, खसरा नं– 8357, रकवा 4.909 हे0, इस प्रकार कुल 11.080 हे0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए प्रस्तावित की गयी है।

2– प्रस्तावित भूनि के पूरब सरहदी नदी, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण में राज्य सरकार की भूमि है।

3– प्रस्तावित सिविल भूमि में कोई धार्मिक, पौराणिक स्थल, श्मसानघाट, मन्दिर/मस्जिद नहीं है।

4– प्रस्तावित सिविल भूमि में कोई सार्वजनिक/सरकारी अथवा गैर सरकारी भवन नहीं है।

5– प्रस्तावित सिविल भूमि किसी सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

6– प्रस्तावित सिविल भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को देने में ग्राम वासियों की कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम प्रधानों की निरापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न हैं।

उपजिलाधिकारी, लोहाघाट द्वारा उक्त प्रस्तावित भूमि को वन विभाग के नाम नामान्तरण/हस्तान्तरण की संस्तुति की गयी है।

अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–केन्द्रीय क्षेत्र) सुभाष रोड, देहरादून के पत्रॉक–8 बी/यू0सी0पी0/06/82/2015/एफ0सी0/1386, दिनॉक 23.09.2019 द्वारा प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति एवं उप जिलाधिकारी, लोहाघाट की उक्त आख्या/संस्तुति के कम में, जनपद चम्पावत में चमदेवल से निडिल मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली 5.540 हे0 वन भूमि के बदले, ग्राम–गुरेली, प0क्षे0–पुल्ला, तहसील लोहाघाट, जनपद चम्पावत के गै0ज0वि0 श्रेणी–10(4) बंजर नाकाबिल आबाद के ख0 खाता संख्या– 121, खेत नं0 4877, रकवा 1.008, हे0, खसरा नं0–4378 रकवा 5.163 हे0, कुल 6.171 हे0, एवं ग्राम सेलासलपड़ तहसील– लोहाघाट, के गै0ज0वि0 श्रेणी–9(3)ड0 बंजर काबिल आवाद के ख0खाता संख्या–197, खसरा नं– 8357, रकवा 4.909 हे0, इस प्रकार कुल 11.080 हे0 भूमि को, क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए वन विभाग के नाम नामान्तरण/हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(एस0एन0 पाण्डे)
जिलाधिकारी
चम्पावत।

कार्यालय जिलाधिकारी चम्पावत।

संख्या– 5779/सात–व0भू0–भूमि हस्तॉ0/2020–21, दिनॉक 14 अगस्त, 2020।

प्रतिलिपि, निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल ।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।
4. उप जिलाधिकारी लोहाघाट।
5. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड (लो0नि0वि0), पी0एम0जी0एस0वाई0, चम्पावत।
6. तहसीलदार, लोहाघाट को मय पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रेषित कि, स्वीकृत भूमि का वन विभाग के नाम नियमानुसार भू–अभिलेखों में नामान्तरण कर, हस्तान्तरण करना सुनिश्चित करेंगे।

(एस0एन0 पाण्डे)
जिलाधिकारी
चम्पावत।

कार्यालय तहसीलदार, लोहाघाट
संख्या 657 /भू–हस्ता.(र0का0)/2020–21 दिनांक 07 अक्टूबर 2020

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, (लो0नि0वि0),
पी0एम0जी0एस0वाई0, चम्पावत।

विषय– **जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चमदेवल से निडिल मोटर मार्ग के निर्माण में पडने वाले वनभूमि के बदले 11.080 हेक्टेयर सिविल भूमि का वन विभाग के नाम म्यूटेशन किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय, चम्पावत के आदेश संख्या 5779/सात–व0भू0–भूमि हस्ता0/2020–21 दिनांक 14 अगस्त 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के अनुपालन में जनपद चम्पावत में चमदेवल से निडिल मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली 5.540 हे0 वन भूमि के बदले, ग्राम गुरेली प0क्षे0 पुल्ला तहसील लोहाघाट जनपद चम्पावत के गैर जमींदारी विनास श्रेणी 10(4) बंजर नाकाबिल आबाद के ख0 खाता संख्या 121, खेत नम्बर 4877 रक्वा 1.008 हे0, खसरा नम्बर 4378 रक्वा 5.163 हे0, कुल 6.171 हे0 एवं ग्राम सेलासलपड़ तहसील लोहाघाट के गैर जमींदारी विनास श्रेणी 9(3)ड़ बंजर काबिल आबाद के ख0 खाता संख्या 197, खसरा नम्बर 8357 रक्वा 4.909 हे0, इस प्रकार कुल 11.080 हे0 भूमि भू–अभिलेखों में वन विभाग के नाम नामान्तरण कर हस्तान्तरित कर दी गयी है। राजस्व उपनिरीक्षक मडलक, पुल्ला द्वारा तैयार खतौनियों के उद्धरण संलग्न है।

अतः उक्तानुसार आख्या अग्रेतर कार्यवाही हेतु सादर सेवा में प्रेषित।

संलग्न– यथोपरि।

07-10-2020
for तहसीलदार,
लोहाघाट

प्रतिलिपि–
1. जिलाधिकारी महोदय चम्पावत को उनके आदेश संख्या 5779 दिनांक 14 अगस्त 2020 के अनुपालन में सादर सूचनार्थ।
2. उपजिलाधिकारी महोदय, लोहाघाट को सादर सूचनार्थ।

तहसीलदार
लोहाघाट

Misc

नकल खतौनी गैर जमींदारी विनाश ग्राम - धुरेली पट्टी - पुल्ला तहसील - लोहाघाट जिला - चम्पावत।

श्रेणी 10(4) अकृषिक भूमि - पत्थर, चट्टान, रौखड़ आदि -

खाता क्रमांक	नाम खातेदारान	फसली सन	खेत नम्बर	रकबा	अन्य विवरण
९२९	बंजर नाप खाते	1374	१	0.001	श्रीमान जिलाधिकारी चम्पावत के आदेश सं० 5779/सात-व.प्र.-भूमि हस्तान्तरण/2020-21 दिनांक 14 अगस्त 2020 एवं श्रीमान तहसीलदार लोहाघाट के आदेश दि० 17/8/2020 के अनुसार भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय सुभाष रोड देहरादून के पत्रांक 8-बी/उ.ख.सी.पी.ओ./06/82/2015/एफ.सी./1386 दिनांक 23-9-2019 द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति एवं उपजिलाधिकारी लोहाघाट की संस्तुति के क्रम में जनपद चम्पावत में चम्पावत के [illegible] हेतु [illegible] में प्रभावित होने वाली 5.540 है० वन भूमि के बदले ग्राम-धुरेली पट्टी-पुल्ला तहसील-लोहाघाट जनपद-चम्पावत के गैर जमींदारी विनाश श्रेणी-10(4) बंजर नाप खाते के रकबा [illegible] 0.121 खसरा नं० 4877 रकबा 1.008 है० खसरा नं० 4878 रकबा 5.163 है० कुल 6.171 है० भूमि [illegible] हेतु वन विभाग के नाम नामान्तरण/हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है, जारी आदेश के अमल दरामद किया।
			२	0.003	
			३१	0.004	
			३५	1.426	
			क्रमशः	क्रमशः	
			४८६४	0.214	
			४८६५	8.143	
			४८६६	2.343	
			४८६८	5.178	
			४८८१	0.457	
			४९०५	0.009	
			क्रमशः	क्रमशः	
			५४४६	0.020	
			५४५२	0.016	
			५४५४	0.010	
			५४५८	0.020	
			५४६१	0.008	
			५४६८	0.028	
	योग		४५२	49.970	

(हस्ताक्षर) राजस्व उप निरीक्षक [illegible] तहसील - लोहाघाट 29/8/2020

महोदय,
खतौनी असल से नकल कर तैयार की,

(हस्ताक्षर) रा० उ० नि० [illegible]/पुल्ला तहसील - लोहाघाट
दि० 16/9/2020

नकल खतौनी 1427 गैरजमीदारी विनाश खतौनी ग्राम-सेला सलपड़ पट्टी-मडलक तहसील लोहाघाट जिला-चम्पावत

श्रेणी 9(3)ड. बंजर कदीम आबाद-

खाता क्रमांक	नाम खातेदार	फसली वर्ष	खेत नम्बर	रकबा	अन्य विवरण
197	वन विभाग	1374	2	0.215	श्रीमान जिलाधिकारी-चम्पावत के आदेश सं. 5779 साल-वन भूमि-हस्तांतरण/2020-21 दिनांक 14 अक्टूबर 2020 एवं श्रीमान तहसीलदार लोहाघाट के आदेश दिनांक-17.08.2020 के अनुपालन भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक 8-बी/यू.सी.पी./06/82/2015/एफ.सी./1386 दिनांक 23.09.2019 द्वारा प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति एवं उपजिलाधिकारी-लोहाघाट की संस्तुति के क्रम में जनपद-चम्पावत में चमदेवल से निसिल मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 5.5408 है. वन भूमि के बदले ग्राम सेला सलपड़ तहसील लोहाघाट के गैरजमीदारी विनाश श्रेणी 9(3)ड. बंजर कदीम आबाद के खाता नं 197 खसरा नं 8357 रकबा 4.909 है. भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए वन विभाग के नाम नामान्तरण/हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है। जारी आदेश से अमल दरामद किया।
			3	1.250	
			7	0.009	
			16	0.023	
			24	0.004	
			27	0.199	
			32	0.004	
			क्रमशः	क्रमशः	
			8323	0.005	
			8347	0.008	
			8357	4.909	
			8362	0.023	
			8381	0.009	
			क्रमशः	क्रमशः	
			9086	0.313	
			9092	0.226	
			9155	0.055	
			9168	0.051	
			9172	0.076	
			9192	1.488	रा.नि.-मडलक तह.-लोहाघाट 29/08/2020
	योग		507	144.355 है.	

तस्दीक, खतौनी असल से नकल की तौफ़ीक किया,

रा.नि.-मडलक
तह.-लोहाघाट
16/9/2020

:: कब्जा प्रमाण पत्र ::

परियोजना का नामः– जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चमदेवल से निडिल मोटर मार्ग का निर्माण।

उपरोक्त परियोजना के निर्माण में 5.540 हे0 वनभूमि प्रभावित हो रही है, क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुने क्षेत्रफल 11.080 हे0 सिविल भूमि ग्राम–गुरेली, प0क्षे0–पुल्ला, तहसील–लोहाघाट व जनपद–चम्पावत के गैर ज0वि0 श्रेणी 10(4) बंजर नाकाबिल आबाद के ख0 खाता संख्या–121, खेत नम्बर–4877 रकवा–1.008 हे0, खसरा नम्बर–4378 रकवा–5.163 हे0, कुल – 6.171 हे0 एवं ग्राम–सेलासलपड़, प0क्षे0–मडलक, तहसील–लोहाघाट एवं जिला–चम्पावत के गैर ज0वि0 श्रेणी 9(3)ड़ ब0का0आ0 के ख0 खाता संख्या–197, खसरा नम्बर–8357 रकवा–4.909 हे0, इस प्रकार कुल–11.080 हे0 सिविल भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गयी है। जिलाधिकारी चम्पावत के आदेश सं0–5779/सात–व0भू0–भूमि हस्तॉ0/2020–21 दिनांक – 14 अगस्त 2020 के क्रम में तहसीलदार लोहाघाट द्वारा पत्र सं0–657/भू–हस्ता0 (र0का0)/2020–21 दिनांक – 07 अक्टूबर 2020 के द्वारा उक्त याचित भूमि का नामान्तरण/हस्तान्तरण वनविभाग के नाम कर दिया गया है, जिसका अमल दरामद भी वनविभाग के नाम हो चुका है। उक्त सिविल भूमि वन विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वनविभाग के कब्जे में ले ली गयी है।

C.S

वनक्षेत्राधिकारी
लोहाघाट वनक्षेत्र।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
लोहाघाट

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

(48)

प्रारूप – 42

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

परियोजना का नाम :– जनपद चम्पावत में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत चमदेवल से निडिल मोटर मार्ग का निर्माण हेतु सिविल सोयम भूमि (11.08 हे0) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन

वनभूमि का क्षेत्रफल 11.080 हे0, वृक्षारोपण स्थल – सेला सेलपड़, गुरेली, प्रजाति – रोहणी, पदम, साल आदि।

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या – 22160 पौधे

क्र0सं0	कार्य का नाम	इकाई	इकाई दर (रू0)	योग
1	2	3	4	5
1	सर्वे एवं सीमांकन	11.08	116.40	1289.71
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	11.08	700.80	7764.86
3	अग्रिम दीवाल बन्दी (फन्सिंग) 84 घनमीटर प्रति हे0 की दर से = 84 X 11.08 हे0 = 930.72 घन मी0	930.72	406.80	378616.90
4	मृदा एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण हेतु कच्चे चाल–खालों का निर्माण एवं अन्य अभियांत्रिक कार्यों हेतु प्रावधान (पूर्ण)		L/S	11000.00
5	गड्ढे खुदान (0.30 X 0.30 X 0.45) 1600 प्रति हे0 गड्ढे	22160.00	8.80	195008.00
6	निरीक्षण बटिया बनना	11.08	582.00	6448.56
7	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष)	22160.00	8.44	187030.40
8	अन्य व्यय जैसे यंत्र संयन्त्र, औजार तेज करना एवं कार्यों पर व्यय		L/S	10000.00
9	अन्य कार्य		L/S	14000.00
	योग – प्रथम चरण			**811158.43**
	द्वितीय चरण			
1	गड्ढा भरान कार्य (0.30 X 0.30 X 0.45)	22160.00	1.38	30580.80
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	22160.00	1.38	30580.80
3	पौध ढुलान कार्य	22160.00	7.67	169967.20
4	पौध रोपण व थालाबन्दी	22160.00	2.47	54735.20
5	निराई, गुड़ाई व मल्चिंग (दो बार)	22160.00	1.82	40331.20
6	खाद व दवा पर व्यय प्रति सैकड़ा पौधा		L/S	15000.00
7	प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण की देख–रेख व रखरखाव पर व्यय	11.08	5721.60	63395.33
8	**8.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत**			
	सूखे घास–फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों का हटाना प्रति हे0	11.08	420.00	4653.60
	8.2 सुरक्षा दीवार/घेरबाड़ के बाहर 4 मीटर की पट्टी साफ करना	11.08	270.00	2991.60
	8.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहित देना।			

Photo Copy Attested
Assistant Engineer
... Divn. P.W.D. Champawat

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड,
चम्पा.

वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्र–लोहाघाट
वन प्रभाग चम्पावत

	अ – प्रशिक्षण	11.08	480.00	5318.40
	ब – प्रोत्साहन	11.08	240.00	2659.20
9	अन्य व्यय साइन बोर्ड, पौध ढुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पॉलीथीन सीट क्रय वर्ष में दो–तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यों को प्रचार–प्रसार एवं डेक्यूमेंटेशन आदि काय।	11.08	840.00	9307.20
	अन्य कार्य		L/S	14000.00
	योग – द्वितीय चरण			**443520.53**
	कुल योग प्रथम एवं द्वितीय चरण			**1254678.96**
	तृतीय चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	11.08	8582.40	95092.99
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास–फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे०	11.08	420.00	4653.60
	2.2 सुरक्षा दीवार के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना, 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	11.08	270.00	2991.60
	अ – प्रशिक्षण	11.08	480.00	5318.40
	ब – प्रोत्साहन	11.08	240.00	2659.20
3	अन्य कार्य		L/S	14000.00
	योग – तृतीय चरण			**124715.79**
	चतुर्थ चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	11.08	8582.40	95092.99
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास–फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे०	11.08	420.00	4653.60
	2.2 सुरक्षा दीवार के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना, 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	11.08	270.00	2991.60
	अ – प्रशिक्षण	11.08	480.00	5318.40
	ब – प्रोत्साहन	11.08	240.00	2659.20
3	अन्य कार्य		L/S	14000.00
	योग – चतुर्थ चरण			**124715.79**
	पंचम चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	11.08	8582.40	95092.99
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास–फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे०	11.08	420.00	4653.60

Photo Copy Attested
Assistant Engineer
Irr. Divn. P.W.D. Champawat

JE

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०
चम्पावत।

वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्र-लोहाघाट
वन प्रभाग चम्पावत

	2.2 सुरक्षा दीवार के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना, 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना	11.08	270.00	2991.60
	अ – प्रशिक्षण	11.08	480.00	5318.40
	ब – प्रोत्साहन	11.08	240.00	2659.20
3	अन्य कार्य		L/S	14000.00
	योग – पंचम चरण			**124715.79**
	षष्टम चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	11.08	8582.40	95092.99
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास–फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे0	11.08	420.00	4653.60
	2.2 सुरक्षा दीवार के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना, 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना	11.08	270.00	2991.60
	अ – प्रशिक्षण	11.08	480.00	5318.40
	ब – प्रोत्साहन	11.08	240.00	2659.20
3	अन्य कार्य		L/S	14000.00
	योग – षष्टम चरण			**124715.79**
	सप्तम चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	11.08	8582.40	95092.99
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास–फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे0	11.08	420.00	4653.60
	2.2 सुरक्षा दीवार के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना, 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना	11.08	270.00	2991.60
	अ – प्रशिक्षण	11.08	480.00	5318.40
	ब – प्रोत्साहन	11.08	240.00	2659.20
3	अन्य कार्य		L/S	14000.00
	योग – सप्तम चरण			**124715.79**
	अष्टम चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त षष्ठम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	11.08	8582.40	95092.99
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास–फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे0	11.08	420.00	4653.60

JE

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0
चम्पावत

Photo Copy Attested
Assistant Engineer
Irr. Divn. L.W.D. Champawat

वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्र–लोहाघाट
वन प्रभाग चम्पावत

	2.2 सुरक्षा दीवार के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना, 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	11.08	270.00	2991.60
	अ – प्रशिक्षण	11.08	480.00	5318.40
	ब – प्रोत्साहन	11.08	240.00	2659.20
3	अन्य कार्य		L/S	14000.00
	योग – अष्टम चरण			**124715.79**
	नवम चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सप्तम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	11.08	8582.40	95092.99
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास–फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे0	11.08	420.00	4653.60
	2.2 सुरक्षा दीवार के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना, 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	11.08	270.00	2991.60
	अ – प्रशिक्षण	11.08	480.00	5318.40
	ब – प्रोत्साहन	11.08	240.00	2659.20
3	अन्य कार्य		L/S	14000.00
	योग – नवम चरण			**124715.79**
	दशम चरण			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	11.08	8582.40	95092.99
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास–फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे0	11.08	420.00	4653.60
	2.2 सुरक्षा दीवार के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना, 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	11.08	270.00	2991.60
	अ – प्रशिक्षण	11.08	480.00	5318.40
	ब – प्रोत्साहन	11.08	240.00	2659.20
3	अन्य कार्य		L/S	14000.00
	योग – दशम चरण			**124715.79**
	कुल योग –			**2252405.30**

Photo Copy Attested
Assistant Engineer
Irr. Divn. P.W.D. Champawat

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०
चम्पावत

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (लो०नि०वि०)
चम्पावत

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत

वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्र–लोहाघाट
वन प्रभाग चम्पावत